

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: FCA/e-997398/349

दिनांक: 09/03/2025

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन तथा वन्य प्राणी विभाग,
चण्डीगढ़ ।

विषय : Diversion of 0.0858 ha. forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division Nio. 1 ,
PWD B&R, Hisar for construction of road from Neoli Kalan to Durjanpur in km. 0 to 5.770 (CM
Announcement code no.. 18263 Date 08-1-2017), under forest Division & Distt. Hisar, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/ROAD/127722/2021

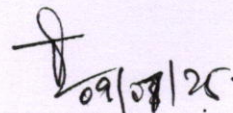
संदर्भ: भारत सरकार के कार्यालय का पत्र क्रमांक दिनांक 02.09.2024

उपरोक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी स्टेज-1 स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट
निम्नप्रकार से आपको भेजी जाती है :-

1. मद् संख्या 1.1 (i) से (vi) अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा सी0ए0 स्कीम एवं एन0पी0वी0 गणना शीट अनुसार कुल 357169/- रु0 की राशि परिवेश पोर्टल के माध्यम से चालान जनरेट करके जमा करवाई जा चुकी है। ऑनलाईन पोर्टल अनुसार राशि का स्टेटस paid है तथा ऑनलाईन करवाई भी पूर्ण कर दी गई है।
2. मद् संख्या 1.1 से (vii) अनुसार एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र की अण्डरटेकिंग ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त स्टेज-1 स्वीकृत के मद् संख्या 2.1 की शर्तों अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेकिंग की प्रति भी संलग्न है तथा ऑनलाईन पोर्टल पर भी अपलोड कर दी गई है।

कृपया प्रस्ताव में स्टेज-1 स्वीकृति करवाने बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें ।
संलग्न/उपरोक्त ।


अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0),
हरियाणा, पंचकुला ।

CFMS:-FRT09072025-3605

प्रमाण पत्र

Diversion of 0.0858 ha. of forest land in Favor of Executive Engineer, Provincial Division No.-1, PWD B&R Hisar for Construction of Road from Neoli Kalan to Durjanpur in km 0.00 to 5.770, under Forest Division & District Hisar, Haryana.

(Online Proposal No.FP/HR/ROAD/127722/2021).

यह प्रमाणित किया जाता है कि विषयांकित प्रस्ताव में जारी स्टेज-1 की स्वीकृति अनुसार निम्न हिदायतों की पालना करनी सुनिश्चित की जाएगी।

वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्त एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

iv. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेगी।

v. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

vi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

vii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।

viii. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।

ix. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिये प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

x. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।

xi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करयेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार का नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।

xii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।

xiii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये कम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।

xiv. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेगुलेटिंग साइनज लगाए जायेंगे।

xv. प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।

xvi. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।

xvii. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।

xviii. इस प्रस्ताव को 15 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समप्ति होगी।

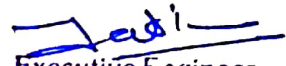
xix. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है।

xx. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

xxi. इनमें से किसी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.121 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।

xxii. पेट्रोल पम्प की पूरी परिधि पर दिवार से 1.5 मीटर की दूरी छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अंतराल पर हल्के मुकुट वाले पेड़ लगाये जाने चाहिए।

xxiii. उपयोगकर्ता एजेंसी पट्टा मार्ग (प्रवेश/निकास या मंड़ी/तेजी) और विभाजक द्वीप पर भी वृक्षारोपण करेगी और इस सम्वन्ध में इस विभाजक द्वीप का किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक उपयोग के लिये उपयोग के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा।

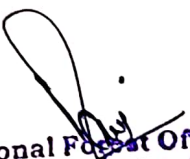

Executive Engineer
Provincial Division No. 1,
PWD B&R Branch, Hisar

**COMPLIANCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHER TRADITIONAL FOREST DEWLLERS
(RECOGNITION OF FOREST RIGHT) ACT, 2006**

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DEPUTY COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE/PROJECT: Diversion of 0.0858 Ha. of Forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division No. 1, PWD B&R, Hisar for construction of road from Neoli Kalan to Durjanpur in Km. 0 to 5.770 at under forest division and district Hisar, Haryana. (Purpose for diversion of forest land) in Hisar District / Forest Division falls with in jurisdiction of Neoli Kalan to Durjanpur, Range Adampur Distt, Hisar.

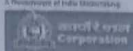
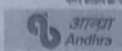
It is certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified "forest less" than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in village having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the census-2011.


Divisional Forest Officer
Hisar Forest Division
HISAR


Signature

(Full name and official seal of the District Collector)
Uttam Singh IAS
Deputy Commissioner
HISAR

AGENCY COPY

यूनियन बैंक
ऑफ इंडियाUnion Bank
of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 10-01-2025

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER HISAR
Application No.	61127722849
MoEF/SG File No.	9-HRB157-2023-CHA
Location.	HARAYANA
Address.	Provincial Division No. 1, PWD B&R Br., Hisar.Hisar
Amount(in Rs)	357169/-

Amount in Words :Three Lakh Fifty-Seven Thousand One
Hundred and Sixty-Nine Rupees OnlyNEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	HARAYANA CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506961127722849 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through ch.
even after 7 working days, then kindly mail a copy o
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@
ubin0903710@unionbankofindia.bank

Print

15 JAN 2025
SBIN525015976713